न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 43 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. नोजीदेवी पत्नी रूपाराम उम्र 71 वर्ष **बनाम**
2. जोगाराम गोदपुत्र रूपाराम उम्र 19 साल
3. खेतुदेवी पत्नी विशनाराम उम्र 69 साल
4. विशनाराम पुत्र दमाराम उम्र 70 साल जातियान जाट निवासी खुबड़ी बेरी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.कमलेश पुत्र नागजीराम, उम्र 26 साल
2.ठाकराराम पुत्र नागजीराम उम्र 26 साल
3.वीराराम पुत्र नागजीराम, उम्र 24 साल
4.गिरधारी पुत्र नागजीराम, उम्र 22 साल जातियान जाट निवासी ताजाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
5.जाला उर्फ वाला पुत्र दमा उम्र 62 साल
6.पेमा पुत्र हरदान उम्र 67 साल
7.मुला पुत्र हरदान उम्र 64 साल
8.मुला पुत्र पदमाराम उम्र 20
9.चूनी पत्नी पदमाराम उम्र 62
10.तेजु पत्नी पदमाराम उम्र 47
11.ताजा पुत्र पीरा उम्र 52 साल
12.धर्मा पुत्र आसू उम्र 37 साल
13.चेना पुत्र आसू उम्र 32 साल
14.चतरू पत्नी आसू, उम्र 62 साल जातियान जाट निवासी खुबड़ी बेरी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
15.श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 129/2015 बअनवान कमलेश बनाम नोजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 18.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी तहसील गुड़ामालानी के मौजा खुबड़ी बेरी में खसरा संख्या 783 रकबा 66.18 बीघा व मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जीयासर में खसरा संख्या 827/1 रकबा 59.11 बीघा व खसरा संख्या 825 रकबा 05 बिस्वा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 05 से 14 की पैतृक है जिसमें खसरा संख्या 825 व 827/1 में अपीलांट संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, अपीलांट संख्या 04 का 1/3 हिस्सा और उतरदाता संख्या 05 का 1/3 हिस्सा है व खसरा संख्या 783 में अपीलांट संख्या 01 व 02 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा, है और इसी तरह से पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने एक वाद पेश किया जिसमें वादीगण ने सवार से मिल कर प्रतिवादीगण के नोटिस पर गलत रूप से आबाद मकान पर चस्पा की टिप्पणी करवाई गई जबकि मौके पर कोई सवार नहीं आया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल जाकर पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन को सवार द्वारा बिना मौके पर जाकर आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट कर अधीनस्थ न्यायालय में भेजे जिसके आधार पर अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब दावा व साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को जबाव दावा व सुनवाई का अवसर देना कानूनन न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा रूखमों के वारिशान बनकर गलत दावा पेश किया गया। नोजीदेवी के कोई संतान नहीं है। रूखमों अभी भी जीवित है। नोजीदेवी ने जोगाराम पुत्र भोमाराम को गोद लिया है जो दिनांक 12.03.2019 को रजिस्टर्ड है। रूपाराम के फौत होने पर नामांतरण संख्या 81 में नोजीदेवी को ही वारिश माना है। ग्राम पंचायत धोलानाडा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में क्रमांक दर्ज नहीं व दिनांक दर्ज नहीं है। रूखमों देवी की मृत्यु 23.01.2008 में हुई जबकि मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 26.09.2014 को जारी किया गया जो संदेहास्पद है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल जाकर पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं है जो

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। नोजीदेवी अंधी है व गोदनामा फर्जी है। गोदनामा षड़यंत्रपूर्ण किया गया है। गोदनामे में जोगाराम की उम्र 19 वर्ष है। रूखमोदेवी नोजीदेवी की पुत्री है व कमलेश वगैरह नोजीदेवी के दोहिते है। रूखमोदेवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रूखमोंदेवी (वादीगण की मां) नोजीदेवी की पुत्री नहीं है तथा नोजीदेवी के कोई संतान नहीं थी। शेराराम पुत्र राजूराम (PW-1), रेखाराम पुत्र जेहाराम (PW-2) ने साक्ष्य शपथ–पत्रों में बताया कि पक्षकारान के पूर्वज दमा के फौत होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा वादीगण के नाना व प्रतिवादी संख्या 01 के पति के नाम से म्यूटेशन भरा गया था। इसके बाद वादीगण के नाना व प्रतिवादी संख्या 01 के पति रूपा के फौतेगी म्यूटेशन उनकी पुत्री अर्थात मृत पुत्री की संतानों अर्थात वादीगण व पत्नी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से भरा जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत धोलानाडा का प्रमाण–पत्र (EXP-7) जिसमें स्पष्ट किया गया है कि रूखमों पुत्री रूपाराम जाति जाट ग्राम खुबडी बेरी ग्राम पंचायत धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर की मूल निवासी है कि उक्त प्रार्थीया की माता का नाम नोजी है। मृत्यु प्रमाण–पत्र (EXP-6) रूखमों पुत्री नोजी पति नागजीराम की मृत्यु दिनांक 23.01.2008 को होने से वादीगण का अपनी मां की पैतृक हिस्सेदारी की भूमि में अपना हक की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी ठहरते है। अपीलांट/प्रतिवादीगण के सम्मन दो मौतबिरान के रूब–रू लेने से इंकार की रिपोर्ट सहित प्राप्त हुए तथा कैम्प कोर्ट तारीख पेशी दिनांक 12.05.2017 के नोटिस प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 व 10 से 11 को टेलिफोन द्वारा सूचना दी गई। कैम्प कोर्ट तारीख पेशी दिनांक 11.06.2018 के नोटिस अपीलांट संख्या 04 विशनाराम स्वयं से तामिल सुदा न्यायालय को प्राप्त हुआ इसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन प्रकरण को लंबा करने की नियत से जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण करने पर उसमें किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हुई है लिहाजा इसे यथावत रखा जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 129/2015 बअनवान कमलेश बनाम नोजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2019 को यथावत रखा जाता है।

18/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner